न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 2557–दो/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–5–2012 पारित द्वारा कलेक्टर अनूपपुर प्रकरण कमांक 6/स्वमेव निगरानी/2010–11

1. वेलावती पत्नी श्री रमेश सिंह
2. रमेश सिंह पुत्र श्री मोलई सिंह
   दोनों निवासीगण अनूपपुर तहसील
   व जिला अनूपपुर म0प्र0

–––––आवेदकगण

विरूद्ध

1. म0प्र0 राज्य द्वारा कलेक्टर अनूपपुर
2. रामकृपाल गुप्ता पिता स्व0 दयाशंकर गुप्ता
   निवासी जेतहरी, तहसील जेतहरी जिला अनूपपुर
3. वृंदा मार्को पत्नी श्री शिवराम सिंह मार्को
   निवासी तहसील जेतहरी जिला अनूपपुर म0प्र0

–––––अनावेदकगण

– – – – – –

श्री आर0 डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री डी0 के0 शुक्ला, अभिभाषक, अनावेदक कं 1
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अनावेदक कं 2

– – – – – –

:: आदेश पारित ::
(दिनांक 12 फरवरी 2015)

– – – – –

आवेदकों द्वारा यह निगरानी कलेक्टर अनूपपुर प्रकरण कमांक 6/स्वमेव निगरानी/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 25–5–2012 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहित 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक कं 1 ने ग्राम अनूपपुर स्थित सर्वे कमांक 108/1क/1 रकवा 0.26 एकड़ भूमि रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 21–9–2005 से कय की। कय करने के पश्चात आवेदक द्वारा नक्शा तरमीम हेतु आवेदन तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 4/अ–3/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 18–12–08 द्वारा नक्शा तरमीम के आदेश पारित किया गया। अनावेदक कमांक 2 द्वारा कलेक्टर अनूपपुर के समक्ष शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लिया गया। कलेक्टर ने अपने प्रकरण कमांक 6/स्वमेव निगरानी/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 25–5–2012 के द्वारा तहसीलदार अनूपपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–12–08 त्रुटिपूर्ण पाये जाने से निरस्त किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार अनूपपुर को मूलतः इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि प्रश्नाधीन भूमि के सभी बटांकों के भूमिस्वामियों की उपस्थिति मे नकशा तरमीम की कार्यवाही करावें तथा हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर प्रकरण का गुण–दोषों के आधार पर निराकरण करें। इसके अतिरिक्त यदि किसी पक्षकार द्वारा म0प्र0 शासन की आराजी खसरा 1081/2 रकवा 0.170 हे0 एवं 1082 पर किसी तरह का अतिकमण किया गया है तो उसके विरूद्ध विधि अंतर्गत कार्यवाही संस्थित कर अतिकमण हटाने की कार्यवाही करें। कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क किया कि आवेदक द्वारा दिनांक 21–9–2005 को रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से भूमि कय की थी, जिसका विधिवत नायब तहसीलदार के प्रकरण कमांक 4/अ–3/08–09 में पारित आदेश दिनांक 28–12–08 से बंटाकन एवं नक्शा तरमीम सभी भूमिस्वामियों के उपस्थिति में स्वत्व के आधार पर कब्जा के अनुरूप किया गया। तत्पश्चात आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण कमांक 36/अ–2/08–09 में पारित आदेश दिनांक 13–9–09 से भूमि का डायवर्सन कराया गया। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा नजूल अधिकारी

अनूपपुर के राजस्व प्रकरण कमांक 3/अ–20(4)/08–09 में नगर पालिका परिषद से दिनांक 28–7–09 को भवन निर्माण की अनुमति भी प्राप्त कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया था। आवेदक अभिभाषक ने यह तर्क दिया कि किसी व्यक्ति की शिकायती आवेदन पर कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया गया जबकि शिकायत के आधार पर प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। आवेदक अभिभाषक का यह भी तर्क है कि तहसीलदार द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन को साक्ष्य से प्रमाणित भी नहीं किया गया तथा आवेदकगण को प्रतिपरीक्षण का भी अवसर नहीं दिया गया। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदक क्रं 1 शासकीय अभिभाषक द्वारा तर्क दिया कि तहसीलदार द्वारा किये गये त्रुटिपूर्ण आदेश को कलेक्टर ने स्वमेव निगरानी में लिया गया है। कलेक्टर किसी अनियमितता की जानकारी होने पर किसी भी समय प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेकर परीक्षण कर सकता है। कलेक्टर ने तहसीलदार के त्रुटिपूर्ण आदेश को निरस्त करने का जो आदेश दिया है वह उचित है।

5/ अनावेदक कमांक 2 के अभिभाषक द्वारा तर्क किया कि अनावेदकगण सरहदी कास्तकार थे, परन्तु उन्हें किसी प्रकार की कोई सूचना तहसीलदार द्वारा नहीं दी गई। अनावेदकों को पक्ष समर्थन का अवसर नहीं दिया गया और न ही नक्शा तरमीम की कार्यवाही उनकी उपस्थित में की गई। अनावेदक अभिभाषक का यह भी तर्क है कि तहसीलदार द्वारा केवल एक सर्वे कमांक के एक बटांक का नक्शा तरमीम किया गया जबकि एक सर्वे नम्बर के सभी बटांक का नक्शा तरमीम किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेकर पूर्व में नक्शा तरमीम का आदेश निरस्त कर तहसीलदार को विधिवत जांच एवं पक्ष समर्थन के पश्चात नक्शा तरमीम का आदेश दिया है जो विधिसंगत है।

6/ अनावेदक कमांक 3 के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

7/ उभय पक्ष अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्क सुने एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक क्रं 1 ने ग्राम अनूपपुर स्थित सर्वे क्रमांक 108/1क/1 रकवा 0.26 एकड़ भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21—9—2005 से क्रय की। उक्त भूमि क्रय करने के पश्चात आवेदक द्वारा नक्शा तरमीम हेतु आवेदन तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसपर तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 18—12—08 द्वारा सर्वे क्रमांक 108 के सम्पूर्ण भूमि का नक्शा तरमीम न कर मात्र आवेदक की भूमि सर्वे क्रमांक 108/1क/1 के नक्शा तरमीम का आदेश पारित किया गया। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि नक्शा तरमीम की कार्यवाही संबंधित भूमि के सभी बटांको का नक्शा तरमीम एक साथ किया जावेगा तथा उसकी पुष्टि भी संबंधित पक्षकारों की सुनवाई पश्चात की जावेगी। तहसीलदार के प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक क्रमांक 1 बेलावती द्वारा दिनांक 14—12—2007 को नक्शा तरमीम हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर उसी दिनांक को तहसीलदार द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर राजस्व निरीक्षक को सीमांकन/तरमीम प्रस्ताव हेतु पत्र जारी करने के आदेश दिये हैं। तत्पश्चात आगामी आदेश पत्रिका दिनांक 18—12—2008 को नक्शा तरमीम की पुष्टि की गई है। मौका पंचनामा पर सरहदी काश्तकारों के हस्ताक्षर नहीं है। तहसीलदार द्वारा नक्शा तरमीम की कार्यवाही में न तो नियमों का पालन किया गया है और न ही अनावेदकों को सुनवाई का अवसर ही दिया है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधिअनुकूल नहीं होने से कलेक्टर द्वारा प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लिया जाकर निरस्त किया गया। इसके अतिरिक्त जहां तक कलेक्टर अनूपपुर द्वारा प्रकरण को किसी व्यक्ति की शिकायत के आधार पर स्वमेव निगरानी में लेने के तर्क का प्रश्न है प्रकरण के अवलोकन से यह विदित होता है कि तहसीलदार अनूपपुर द्वारा दिनांक 3—12—2010 को जांच प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजकर उक्त नक्शा तरमीम के आदेश दिनांक 18—12—2008 को स्थगन के अनुरूप एवं स्थल में भिन्नता होने से प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लिये जाने की अनुशंसा की। तत्पश्चात ही कलेक्टर द्वारा दिनांक 27—12—2010 को प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लिया गया है। स्वेमव निगरानी को

एक निश्चित समय–सीमा में लेने के लिए कोई वैधानिक बाधा नहीं है। तहसीलदार द्वारा वर्ष 2008 में किए गए नक्शा तरमीम की कार्यवाही को कलेक्टर द्वारा वर्ष 2010 में स्वमेव निगरानी में लेकर दिनांक 25–5–12 को भूमि के सभी बटांकों के भूमिस्वामियों की उपस्थिति में नक्शा तरमीम की काग्रवाही कराने तथा हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण करने के आदेश दिये हैं, इसे अत्यधिक विलम्बित नहीं कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त सर्वे कमांक 1081/2 रकवा 0.170 हे0 एवं 1082 शासकीय भूमि होने से उक्त भूमि पर हुये अतिक्रमण को हटाये जाने का प्रश्न है जब तक नियमानुसार नक्शा तरमीम की कार्यवाही की संपादित नहीं की जा सकती तब तक अतिक्रमण के संबंध में भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकती है। अतः कलेक्अर का आदेश उचित है एवं कलेक्टर द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। कलेक्टर अनूपपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–5–2012 स्थिर रखा जाता है।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर